

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

उनवान

श्री पप्पु लाल पिता छितर लाल रेगर  
मु० पचानपुरा पो० आरोली तहसील  
बिजौलियां।

बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया।

किस्म मुकदमा-अपील अन्तर्गत धारा 19(3) आर०टी०आई०

प्रकरण संख्या : 47/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	<p>1. अपील अपीलार्थी पेश हुई। जिसे दर्ज रजिस्टर की जावें। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील आवेदन इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध प्रथम अपील की गई।</p> <p>2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से द्वितीय अपील मूल ही अपीलार्थी को लौटाकर लेख है कि उक्त आवेदन सक्षम द्वितीय अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फ़ैसल शूमार हो। दर्ज रजिस्टर से कम करे।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा